IT – Section

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Telefax : 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन कॉम्पलेक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003 टैलीफैक्स: 0135-2754041
E-mail : upnl.ua@rediffmail.com

पत्रांक सख्यां : 1034/ई0पी0एफ0/उपनल

दिनांक 30 मई 2019

सेवामें,

समस्त विभाग/समस्त निगम एवं उपकम/
प्रतिष्ठान/संस्थान/आयोग/समितियां/निदेशालय
एवं समस्त बोर्ड

विषय : कार्मिकों के आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक अकॉउन्ट को ई0पी0एफ0खाते से लिंक करने के सम्बन्ध में।

1. कृपया सज्ञांन में लाना है, कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्राक सख्यां–1034/ई0पी0एफ0/उपनल दिनांक 10 अक्टूबर 2018, 1034/ई0पी0एफ0/उपनल दिनांक 02 नवम्बर 2018, 1034/ई0पी0एफ0/उपनल दिनांक 26 दिसम्बर 2018, 1034/ई0पी0एफ0/उपनल दिनांक 21 फरवरी 2019 एवं 1034/ई0पी0एफ0/उपनल दिनांक 10 अप्रैल 2019 के सम्बन्ध में।

2. उक्त विषयक सभी विभागों से अपेक्षा की गयी थी कि, उपनल के माध्यम से कार्यरत सभी कार्मिकों के आधार कार्ड , पेन कार्ड एवं बैंक अकॉउन्ट की स्वःप्रमाणित छायाप्रतियॉ उपनल मुख्यालय में प्रेषित की जायें या जमा की जायें लेकिन अधिकॉश विभागों ने अभी तक उक्त बावत सज्ञांन नहीं लिया है और जिन विभागों ने कार्मिकों के आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक अकॉउन्ट की छायाप्रतियॉ प्रेषित कर दी हैं उनमें से ज्यादातर कार्मिकों के दस्तावेज के0वाई0सी0 हेतु अपूर्ण पाये गये हैं। जैसा कि उक्त पत्रांकों में अंकित किया गया था कि आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक अकाउन्ट में कार्मिक का नाम, पिताजी का नाम एवं जन्मतिथि एक समान हों।

3. आपको पुनः अवगत कराया जाता है, कि आपके विभाग में कार्यरत कार्मिकों को निर्देशित किया जाय कि वह अपने उक्त दस्तावेजों का स्वयं मिलान करें जिसमें कि कार्मिक का नाम, पिताजी का नाम एवं जन्मतिथि एक समान हो। अगर इन दस्तावेजों में कोई भिन्नता हो तो कार्मिकों को पहले अपने दस्तावेजों को एक समान करना होगा। उक्त दस्तावेजों में भिन्नता के अन्तर को समझने हेतु कार्मिकों को निम्न बातों पर ध्यान देना होगा :–

(क) कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्मिक का नाम, पिताजी का नाम एवं जन्मतिथि जो भी कार्मिक के आधार कार्ड में अंकित होगी उसी को सही माना जायेगा यानि कि बैंक अकाउॅन्ट एवं पेन कार्ड में भी कार्मिक का नाम, पिताजी का नाम एवं जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो कि आधार कार्ड में अंकित है। इसलिए ध्यान रहे कि आधार कार्ड में सही विवरण दर्ज हो क्योंकि अन्य दस्तावेजों का मिलान आधार कार्ड के अनुसार ही मान्य होगा।

(ख) यदि कार्मिक के आधार कार्ड में पिताजी के नाम के पहलें Shri या अन्य शब्द अंकित हो तो इस स्थिति में Shri या अन्य शब्द को आधार सेन्टर से हटवा कर संशोधित करना होगा।

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. ★ Dehradun ★

(ग) उदाहरण के तौर पर अगर किसी कार्मिक के आधार कार्ड में स्वयं का नाम Virendra Dutt Pokhariyal अंकित हो रखा हो किन्तु पेन कार्ड में Birendra Datt तथा बैंक अकॉउन्ट में Virendra Pokhriyal अंकित हो रखा हो तो इस स्थिति मे कार्मिक को अपना नाम Virendra Dutt Pokhariyal जो कि आधार कार्ड में अंकित है वही नाम पेन कार्ड एवं बैंक अकॉन्ट में भी अंकित कराना होगा।

(घ) इसी प्रकार जिस कार्मिक के आधार कार्ड में पिताजी का नाम Suresha Nand Purohit अंकित हो रखा हों और पेन कार्ड में Sureshanand तथा बैंक अकॉउन्ट में Suresha Nand Prohit जो कि आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है तो कार्मिक को अपने पेन कार्ड एवं बैंक अकॉउन्ट में भी पिताजी का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही अंकित करना होगा।

(ङ:) इसी प्रकार कई कार्मिकों की जन्मतिथि आधार कार्ड के विवरण में केवल वर्ष (Year) ही अंकित होती है ऐसे कार्मिक अपनी जन्मतिथि को आधार कार्ड में सही और स्पष्ट अंकित करायें जैसे कि Date/month/year.

(च) कई कार्मिको की जन्मतिथि भविष्यनिधि कार्यालय के दस्तावेजों में उनकी वास्तविक जन्मतिथि से भिन्न अंकित हो रखी है। जिसके संशोधन कराने हेतु हाई-स्कूल का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में से एक का होना अनिवार्य है। योग्यता के अनुसार जो भी उपलब्ध हो उपरोक्त दस्तावेजो के साथ संलग्न कर इस कार्यालय में जमा करायें।

(छ) कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाये कि, सभी कार्मिकों का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, ध्यान रहे कि आधार कार्ड से वही मोबाईल न0 लिंक होना चाहिए जो कि कार्मिक ने ई0पी0एफ0. खाते से लिंक कराया हो अन्यथा की स्थिति में ई0पी0एफ0 का भुगतान होना सम्भव नहीं है।

5. जिन विभागों में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं और उन महिलाओं ने नियुक्ति के बाद शादी की हो तथा शादी के बाद अपने आधार कार्ड में पिताजी के स्थान पर अपने Husband का नाम दर्ज कराया हो तो उनको निम्न दस्तावेज जमा कराने होगें।

(क) स्वयं का आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक अकॉउन्ट एवं Educational certificate जिसमें कि जन्मतिथि अंकित हो तथा उक्त तीनों दस्तावेजों में विवरण एक समान हो।

(ख) पति (Husban) का आधार कार्ड जिसमें कि पति का नाम वही होना चाहिए जो कि महिला कर्मचारी ने अपने आधार कार्ड में अंकित कराया हो।

(ग) महिला कार्मिक को अपना Marriage certificate जमा करना होगा जिसमें कि कार्मिक का नाम एवं पति का नाम एक समान हो।

(घ) सभी कार्मिक अपने आधार कार्ड की छायाप्रति में अपनी e-mail ID भी अवश्य अंकित करें।

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. Dehradun

6. अनुरोध किया जाता है, कि जिन कार्मिकों के दस्तावेज उपरोक्त के आधार पर एक समान हों तो उनके दस्तावेज अविलम्ब उपनल मुख्यालय के ई0पी0एफ0 अनुभाग में जमा करायें तथा जिन कार्मिको के दस्तावेजों में सशोंधन होना है वे कार्मिक यथाशीघ्र अपने दस्तावेजों में संशोधन करवाने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करायें क्योंकि जब तक कार्मिक के दस्तावेजों में कार्मिक का विवरण एक समान नहीं हो जाता हैं तब तक के0वाई0सी0 होना सम्भव नहीं है और के0वाई0सी0 के अभाव मे कार्मिक को भविष्यनिधि से मिलने वाले लाभों से वचित रहना पडेगा जिससे कार्मिक को दिक्कतों का सामना करना पड सकता है। इस बावत अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

धन्यवाद।

कर्नल आई0पी0एस0 राणा (अ0प्रा0)
उप–महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:–
भविष्यनिधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून – सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.
Dehradun